NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-12-2025

विषय सूची

» दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता
» फिनलैंड भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रोड शो आयोजित करेगा
» भारत में जैव-उपचारण की आवश्यकताएँ
» सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को 'डिजिटल अरेस्ट' से निपटने का कार्य सौंपा

संक्षिप्त समाचार

» जियो पारसी योजना
» सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (GIRG) ढांचा
» जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स को लेकर यूपी में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त
» घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)
» DRDO द्वारा स्वदेशी फाइटर एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट
» भारतीय समुद्री सिद्धांत 2025 में नौसेना की नई श्रेणी

दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (IDPD) प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।

परिचय

- **इतिहास:** IDPD सर्वप्रथम 1992 में मनाया गया था, जब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 के माध्यम से घोषित किया गया।
- 2006 में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD) को अपनाया गया ताकि दिव्यांगजन के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें और 2030 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग किया जा सके।
- **विषय 2025:** "सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग-समावेशी समाजों को प्रोत्साहित करना।"

भारत में दिव्यांगता परिदृश्य

- "दिव्यांग व्यक्ति" वह है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमता है, जो बाधाओं के साथ अंत:क्रिया में समाज में दूसरों के समान पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार)।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व):** बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
- **सातवीं अनुसूची:** "दिव्यांग और अशक्त व्यक्तियों की राहत" विषय राज्य सूची में शामिल है, जिससे राज्य सरकारों को इन मामलों पर अधिकार मिलता है।

भारत का कानूनी और नीतिगत ढांचा

- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:** 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए 2016 में लागू किया गया।
  - यह 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और शिक्षा व रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है।
  - भारत, UNCRPD का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, एक सुलभ और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999:** ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करता है।
- **पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992:** RCI को 1986 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया और 1993 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निकाय बना।

सरकारी पहल और योजनाएँ

- **सुगम्य भारत अभियान :** 2015 में शुरू किया गया, यह दिव्यांगजन द्वारा सामना की जाने वाली दीर्घकालिक बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है।
  - यह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देता है — निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)।
- **दिव्यांगजन कार्ड (EPICS):** रेलवे पहचान पत्र जो दिव्यांगजन को ट्रेन यात्रा में रियायतें प्रदान करता है।
- **दिव्यांगजन हेतु यूनिक आईडी परियोजना (UDID):** राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांगजन को यूनिक आईडी कार्ड जारी करने के लिए लागू।
- **PM-DAKSH DEPwD:** दिव्यांगजन, प्रशिक्षण संस्थान, नियोक्ता और जॉब एग्रीगेटर्स को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
- **भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का संवर्धन:** ISLRTC, 2015 में स्थापित, ISL को बढ़ावा देने का प्रमुख संस्थान है।

- 2024 में, सरकार ने PM e-vidya चैनल 31 लॉन्च किया, जो विशेष रूप से श्रवण-बाधित छात्रों, विशेष शिक्षकों और दुभाषियों के लिए ISL प्रशिक्षण हेतु समर्पित है।

चिंताएँ

- कानूनी ढांचे के बावजूद, कई दिव्यांगजन को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक सीमित पहुँच है।
- सामाजिक कलंक और भेदभाव सामाजिक समावेशन एवं अवसरों में बाधा डालते हैं।
- नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन क्षेत्रों में असमान रहता है, जिससे सेवा वितरण में अंतराल उत्पन्न होते हैं।
- दिव्यांगजन और उनके परिवारों में अधिकारों और उपलब्ध सहायता प्रणालियों के प्रति जागरूकता कम है।

निष्कर्ष

- भारत में दिव्यांगजन मामलों का विकास उनके अधिकारों और क्षमता की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है।
- समर्पित पहल और प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक अवसर सृजित करते हैं, जिससे ऐसा समाज बनता है जहाँ हर कोई गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके।

Source: PIB

फिनलैंड भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रोड शो आयोजित करेगा

संदर्भ

- भारत द्वारा 2026 में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (World Circular Economy Forum) की मेजबानी से पहले, फ़िनलैंड प्रमुख भारतीय शहरों में रोडशो आयोजित करेगा ताकि चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके तथा व्यापारिक अवसरों का अन्वेषण किया जा सके।

चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है?

- चक्रीय अर्थव्यवस्था (CE) उत्पादन का एक मॉडल है जो उत्पाद जीवन चक्र के सभी चरणों — कच्चे माल के निष्कर्षण और निर्माण से लेकर निपटान एवं पुन: उपयोग तक — अपशिष्ट को कम करने या समाप्त करने को प्राथमिकता देता है।

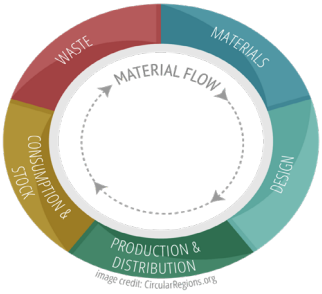

- भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक इसका बाजार मूल्य 2 ट्रिलियन डॉलर होगा और यह 1 करोड़ रोजगार सृजित करेगी।

चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व

- **आर्थिक अवसर:** UNDP का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाने से 2030 तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकते हैं, साथ ही उत्सर्जन कम होगा और स्थायी हरित नौकरियाँ बनेंगी।
- **रोज़गार सृजन:** पुनर्चक्रण, मरम्मत, पुनर्निर्माण और सतत उत्पाद डिज़ाइन में रोजगार के अवसरों का विस्तार करता है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** चक्रीय मॉडल अपनाने वाले व्यवसायों को बाज़ार में बढ़त मिलती है क्योंकि उपभोक्ता सतत उत्पादों को अधिक पसंद करते हैं।

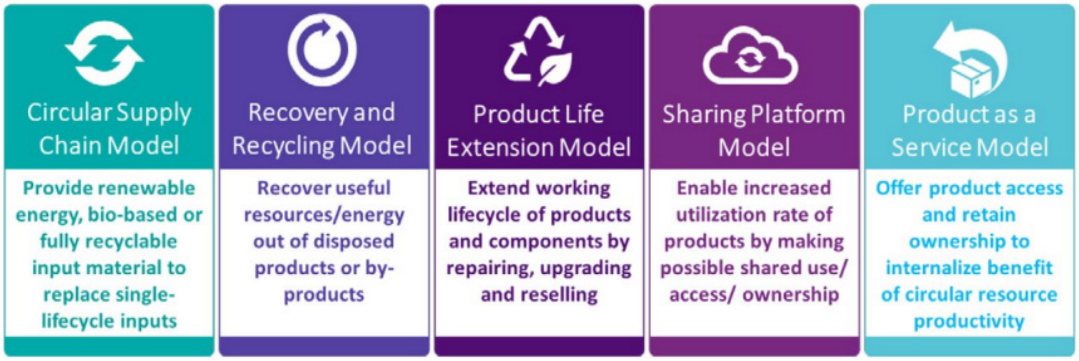

चक्रीय अर्थव्यवस्था में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U):** 3R (Reduce, Reuse, Recycle) सिद्धांतों के साथ शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
- **गोबर-धन योजना:** बायोगैस और जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण के माध्यम से अपशिष्ट-से-धन पहलों को बढ़ावा देना।
  - यह योजना वर्तमान में भारत के कुल जिलों के 67.8% को कवर करती है, और फरवरी 2025 तक 1008 बायोगैस संयंत्र पूरी तरह से चालू हैं।
- **ई-वेस्ट प्रबंधन नियम (2022):** इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट निपटान में चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को सुदृढ़ करना।
- **प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** उद्योगों को प्लास्टिक अपशिष्ट की जवाबदेही लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - भारत ने 2022 में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया।
- **12वाँ क्षेत्रीय 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच:** मार्च 2025 में जयपुर, भारत में आयोजित हुआ, जो सतत अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था पहलों में क्षेत्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था लागू करने में चुनौतियाँ

- **तकनीकी विशेषज्ञता:** कई व्यवसाय, नगरपालिकाएँ और नागरिक चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों से अपरिचित हैं तथा इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी ज्ञान की कमी है।
- **उच्च प्रारंभिक निवेश लागत:** पुनर्चक्रण अवसंरचना या सतत उत्पाद डिज़ाइन जैसी चक्रीय प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है।
- **असमान कॉर्पोरेट अपनाना:** भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनाने वाले लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) अभी तक शामिल नहीं हैं, जिससे क्षेत्रों में संक्रमण असमान है।
- **अपर्याप्त प्रवर्तन नीति:** नीतियाँ मौजूद होने के बावजूद, कमजोर प्रवर्तन और सीमित प्रोत्साहन अपनाने की गति को धीमा करते हैं।

आगे की राह

- चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को बड़े निगमों से आगे सभी उद्योग स्तरों तक पहुँचाने के लिए "ट्रिकल-डाउन प्रभाव" की आवश्यकता है।
- उत्पादों की मरम्मत एवं पुन: उपयोग को बढ़ावा दें ताकि उनके जीवनचक्र को बढ़ाया जा सके और संसाधन खपत को कम किया जा सके।
- पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में सुधार करें ताकि संचय और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके, विशेषकर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पहलों के माध्यम से।

Source: TH

भारत में जैव-उपचारण की आवश्यकताएँ

संदर्भ

- भारत को प्रदूषित पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करने और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए तत्काल जैव-उपचारण (Bioremediation) की आवश्यकता है, क्योंकि 16 लाख टन से अधिक पुराना अपशिष्ट मौजूद है।

जैव-उपचारण क्या है?

- इसका अर्थ है 'जीवविज्ञान के माध्यम से जीवन को पुनर्स्थापित करना'। इसमें जीवित जीवों — बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और पौधों — का उपयोग किया जाता है ताकि तेल, प्लास्टिक एवं भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों को तोड़ा या निष्क्रिय किया जा सके।
- ये सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थों पर भोजन करते हैं और उन्हें जल , कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक अम्ल जैसे हानिरहित उप-उत्पादों में बदल देते हैं।
- कुछ मामलों में, वे खतरनाक धातुओं को स्थिर, गैर-विषैले रूपों में बदल सकते हैं जो अब मिट्टी या भूजल में रिसते नहीं हैं।

जैव-उपचारण के प्रकार

- **इन-सीटू जैव-उपचारण:** उपचार सीधे प्रदूषित स्थल पर होता है।

- उदाहरण के लिए, तेल खाने वाले बैक्टीरिया को समुद्र में फैलाव पर छिड़का जा सकता है ताकि पेट्रोलियम अवशेषों को तोड़ा जा सके।

- **एक्स-सीटू जैव-उपचारण:** प्रदूषित सामग्री को हटाकर नियंत्रित सुविधाओं में उपचारित किया जाता है और फिर पर्यावरण में वापस किया जाता है।

जैव-उपचारण में आधुनिक प्रगति

- अब यह क्षेत्र पारंपरिक सूक्ष्मजीव विज्ञान को जैव-प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ता है:
  - **आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सूक्ष्मजीव:** इन्हें प्लास्टिक या पेट्रोलियम उप-उत्पाद जैसे कठिन प्रदूषकों को तोड़ने के लिए तैयार किया गया है।
  - **सिंथेटिक बायोलॉजी:** इसने ऐसे जीवों को प्रस्तुत किया है जो विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति को फ्लोरोसेंस या रंग परिवर्तन के माध्यम से संकेत देते हैं।
  - **आणविक उपकरण:** ये वैज्ञानिकों को सीवेज संयंत्रों, औद्योगिक स्थलों या खेतों में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए बायोमोलेक्यूल्स की पहचान, प्रतिकृति और अनुकूलन करने में सक्षम बनाते हैं।

भारत को जैव-उपचारण की आवश्यकता क्यों है?

- **औद्योगिक विकास:** भारत का औद्योगिक विकास उसके पारिस्थितिक तंत्र की कीमत पर हुआ है।
  - गंगा और यमुना जैसी नदियाँ अब भी अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट से बोझिल हैं।
  - तेल फैलाव, कीटनाशक अवशेष और भारी धातुएँ प्रकृति और मानव स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डालती हैं।
- **सतत और कम लागत वाला विकल्प:** पारंपरिक सफाई विधियाँ महंगी, ऊर्जा-गहन और अक्षम हैं, जो प्रायः द्वितीयक प्रदूषण उत्पन्न करती हैं।
  - जैव-उपचारण एक सतत, कम लागत वाला विकल्प प्रदान करता है जिसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है।
- **भारत की समृद्ध जैव विविधता:** स्थानीय परिस्थितियों (जैसे उच्च लवणता या तापमान) के अनुकूल देशी सूक्ष्मजीव प्रदूषित पर्यावरण को पुनर्स्थापित करने में आयातित प्रजातियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

भारत में जैव-उपचारण की पहल: वर्तमान प्रयास

- **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT):** यह अपने क्लीन टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देता है, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और सार्वजनिक प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **CSIR-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI):** यह जैव-उपचारण परियोजनाओं को डिजाइन और परीक्षण करने में राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):** इसने पुराने अपशिष्ट के वैज्ञानिक उपचार के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- **स्वच्छ भारत मिशन 2.0:** शहरों को सभी पुराने अपशिष्ट को जैव-उपचारण या बायोमाइनिंग का उपयोग करके साफ करने का आदेश देता है।
- **IIT शोधकर्ता:** उन्होंने तेल फैलाव को अवशोषित करने के लिए कपास-आधारित नैनोकॉम्पोज़िट विकसित किए और औद्योगिक प्रदूषकों को तोड़ने में सक्षम बैक्टीरिया की खोज की।
- **स्टार्टअप्स:**बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड(BCIL) औरइकोनार्मल बायोटेक जैसे स्टार्टअप अपशिष्ट जल और मृदा उपचार के लिए सूक्ष्मजीव संरचनाएँ प्रदान कर रहे हैं।

संबंधित चुनौतियाँ

- स्थल-विशिष्ट डेटा की कमी, जटिल प्रदूषक मिश्रण और एकीकृत राष्ट्रीय मानकों के बिना खंडित नियम।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) का अनियंत्रित रिलीज़ पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकता है।
- कमजोर जैव सुरक्षा और नियंत्रण प्रणालियाँ नए पर्यावरणीय खतरों को उत्पन्न कर सकती हैं।
- जागरूकता और पारदर्शी निगरानी के बिना सार्वजनिक प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- भारत को जोखिमों को कम करने के लिए सुदृढ़ जैव सुरक्षा दिशानिर्देश, प्रमाणन प्रणाली और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल हैं:
  - **राष्ट्रीय मानक:** सूक्ष्मजीवों के उपयोग और स्थल प्रबंधन के लिए स्पष्ट, विज्ञान-आधारित प्रोटोकॉल स्थापित करें।
  - **क्षेत्रीय केंद्र:** विश्वविद्यालयों, उद्योगों और स्थानीय सरकारों को जोड़ें ताकि क्षेत्र-विशिष्ट प्रदूषण मुद्दों का समाधान किया जा सके।
  - **स्टार्टअप समर्थन:** DBT–BIRAC और स्थानीय सामुदायिक पहलों के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करें।
  - **जन जागरूकता:** नागरिकों को शिक्षित करें कि पर्यावरण पुनर्स्थापन में सूक्ष्मजीव सहयोगी हैं, खतरा नहीं।

प्रदूषित पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने के अन्य प्रभावी तरीके

- **फाइटोरेमेडिएशन:** इसमें पौधों का उपयोग करके प्रदूषकों को अवशोषित या निष्क्रिय किया जाता है, विशेषकर भारी धातु युक्त मृदा और आर्द्रभूमि में।
- **माइकोरेमेडिएशन:** इसमें कवक का उपयोग करके कार्बनिक प्रदूषकों को तोड़ा जाता है, विशेषकर तेल-प्रदूषित मृदा में।
- **वर्मीरिमेडिएशन:** इसमें केंचुओं का उपयोग करके प्रदूषित मिट्टी को विषमुक्त और स्थिर किया जाता है, जिससे उर्वरता और संरचना में सुधार होता है।
- **बायोऑगमेंटेशन:** इसमें प्रदूषकों के अपघटन को तीव्र करने के लिए विशिष्ट सूक्ष्मजीव प्रजातियों को जोड़ा जाता है।
- **इलेक्ट्रोकाइनेटिक उपचार:** इसमें मृदा से भारी धातुओं या कार्बनिक प्रदूषकों को निकालने के लिए विद्युत क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है।
- **नैनोरेमेडिएशन:** इसमें विशेषकर भूजल में प्रदूषकों को तोड़ने या स्थिर करने के लिए नैनोकणों का उपयोग किया जाता है।
- **मॉनिटरड नैचुरल एटेनुएशन (MNA):** इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं (जैसे सूक्ष्मजीव गतिविधि, पतला होना) पर भरोसा किया जाता है ताकि समय के साथ प्रदूषण कम हो सके, नियमित निगरानी के साथ।

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को 'डिजिटल अरेस्ट' से निपटने का कार्य सौंपा

समाचारों में

- सर्वोच्च न्यायालय ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों की जांच के लिए सीबीआई को पूरे भारत में जांच का नेतृत्व करने का निर्देश दिया।

डिजिटल अरेस्ट क्या हैं?

- डिजिटल अरेस्ट एक साइबर घोटाला है जिसमें ठग कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण कर भय और घबराहट उत्पन्न करके धन उगाही करते हैं।
- यह सामान्यतः एक साधारण फोन कॉल से शुरू होता है — जैसे पार्सल डिलीवरी का दावा या KYC सत्यापन — जो जल्दी ही गिरफ्तारी की धमकी, बैंक खाते फ्रीज़ करने या पासपोर्ट रद्द करने तक पहुँच जाता है।

बढ़ोतरी के पीछे कारण

- **कानून प्रवर्तन पर जनता के विश्वास का दुरुपयोग:** भय और धमकी के माध्यम से।
- **डिजिटल असुरक्षा:** सिम कार्ड, म्यूल बैंक खाते और नकली आईडी तक आसान पहुँच।
- **लक्षित समूह:** बुजुर्ग नागरिक, महिलाएँ और वे पेशेवर जो साइबर अपराध सुरक्षा से अपरिचित हैं।
- **सीमा-पार सिंडिकेट्स:** "जम्तारा-शैली" घोटालों की तरह कार्य करने वाले संगठित नेटवर्क, जिनके अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश

- न्यायालय ने सीबीआई को म्यूल खातों में शामिल बैंकरों की जांच करने और राज्यों, इंटरपोल तथा ऑनलाइन मध्यस्थों के साथ समन्वय करने का पूर्ण अधिकार दिया।

- इसने निवेश और पार्ट-टाइम नौकरी घोटालों सहित साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई पर बल दिया।
- राज्यों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को सहमति देने का आदेश दिया गया और क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से जोड़ने का निर्देश दिया गया।
- न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को लापरवाह सिम जारी करने के लिए आलोचना की और दूरसंचार विभाग को सिम दुरुपयोग रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का कार्य सौंपा, पीड़ितों की सुरक्षा हेतु व्यापक एवं समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया।

सरकार के कदम

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित, यह केंद्र साइबर अपराध से निपटने और रोकथाम संसाधन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** एक समर्पित पोर्टल जनता को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में, जिससे कानून प्रवर्तन द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव होती है।
- **वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली:** 2021 में शुरू की गई, इस प्लेटफ़ॉर्म ने 9.94 लाख शिकायतों में ₹3431 करोड़ से अधिक बचाने में सफलता पाई है, क्योंकि यह वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्टिंग की अनुमति देता है।
- **साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ:** दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला और हैदराबाद में एविडेंस लैब ने पुलिस की डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन एवं विश्लेषण क्षमता को काफी बढ़ाया है।

आगे की राह

- डिजिटल अरेस्ट, जो साइबर धोखाधड़ी को मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ जोड़ते हैं, भारत में गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।
- इनसे निपटने के लिए अधिकारी जन-जागरूकता अभियानों, सुरक्षित सिम जारी करने और एआई-आधारित धोखाधड़ी पहचान जैसी सुदृढ़ तकनीकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- छलावरण और डिजिटल धमकी से निपटने के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, साथ ही सीमा-पार साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है।
- सामुदायिक सतर्कता भी आवश्यक है ताकि नागरिक संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें और साक्ष्य सुरक्षित रखें।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

जियो पारसी योजना

संदर्भ

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने मुंबई में जियो पारसी योजना को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए एक व्यापक समर्थन एवं जनसंपर्क कार्यशाला आयोजित की।

भारत में पारसी समुदाय

- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में पारसी जनसंख्या 57,264 थी।
- यह 2001 की जनगणना के आँकड़े 69,601 से लगभग 22% की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

योजना के बारे में

- जियो पारसी योजना 2013-14 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप अपनाकर पारसी जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना था।
- इस योजना के तीन घटक हैं:
  - **चिकित्सीय सहायता:** बांझपन उपचार जैसे IVF, ICSI, सरोगेसी और गर्भधारण के बाद देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- **समर्थन:** बांझपन की समस्या वाले दंपतियों की काउंसलिंग और कार्यशालाओं सहित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करता है।
- **समुदाय का स्वास्थ्य:** बच्चों वाले पारसी दंपतियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही आश्रित बुजुर्ग सदस्यों को भी।

Source: PIB

सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (GIRG) ढांचा

संदर्भ

भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के साथ तुलनात्मक रूप से मापने और साक्ष्य-आधारित नीतिगत सुधारों का मार्गदर्शन करने के लिए **सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक(GIRG)** पहल शुरू की है।

परिचय

- **सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (GIRG)** एक अंतर-मंत्रालयी तंत्र है जो 16 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित 26 वैश्विक सूचकांकों में प्रगति की निगरानी करता है।
- ये सूचकांक चार व्यापक विषयों को कवर करते हैं: **अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग।**
- प्रत्येक सूचकांक को एक विशिष्ट नोडल मंत्रालय को सौंपा गया है, जो कार्यप्रणालियों की समीक्षा करने, प्रकाशन संगठनों के साथ जुड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि भारत के नवीनतम आधिकारिक आँकड़े गणनाओं में उपयोग किए जाएँ।
- **नीति आयोग का विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO)** इस अभ्यास के लिए केंद्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करेगा।

GIRG की आवश्यकता क्यों है?

- भारत के राष्ट्रीय संकेतक जैसे GDP, CPI और IIP पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरेखित कार्यप्रणालियों का पालन करते हैं और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए आधार-वर्ष संशोधन से गुजरते हैं।
- हालाँकि, वैश्विक रैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र प्रायः अस्पष्ट कार्यप्रणालियों, असंगत डेटा उपयोग और देश-विशिष्ट संदर्भ की कमी से ग्रस्त रहते हैं।
- इसीलिए GIRG का उद्देश्य है:
  - वैश्विक सूचकांकों में सटीक और अद्यतन सरकारी आँकड़ों का उपयोग सुनिश्चित करना।
  - भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और विश्वसनीयता को बढ़ाना।

Source: PIB

जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स को लेकर यूपी में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त

समाचारों में

- उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक शिकायतें दर्ज कीं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं तथा कार्य की खराब गुणवत्ता से संबंधित कुल शिकायतों में लगभग 84% का हिस्सा रहा।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में

- **प्रारंभ वर्ष:** 2019
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **नोडल मंत्रालय:** पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय
- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का पुनर्गठन कर उसे जल जीवन मिशन में सम्मिलित किया गया।
- **उद्देश्य:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (FHTC) सुनिश्चित करना, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध हो।
- **वित्त पोषण पैटर्न:**
  - 90:10 (हिमालयी राज्य — उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्य)
  - 100% (केंद्र शासित प्रदेश)
  - 50:50 (अन्य राज्य)

- **प्रगति:** ग्रामीण भारत में नल जल की पहुँच तेजी से बढ़ी है, जो 3.23 करोड़ परिवारों (16.7%) से बढ़कर अब तक अतिरिक्त 12.48 करोड़ परिवारों तक पहुँच चुकी है।

Source :TH

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)

समाचारों में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 2025 सूची में पुष्टि की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) बने हुए हैं।

D-SIBs के बारे में

- D-SIBs वे बैंक हैं जिन्हें "बहुत बड़े हैं, इसलिए असफल नहीं हो सकते" माना जाता है।
- इनका पतन पूरे वित्तीय तंत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इन्हें विशेष विनियमन और उच्च निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है।
- यह अवधारणा वैश्विक स्तर पर 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद प्रस्तुत की गई थी।
- बेसल-III दिशानिर्देशों के आधार पर, RBI ने 2014 में D-SIB ढाँचा जारी किया। इसमें बैंकों की पहचान निम्न आधारों पर की जाती है:
  - आकार (कुल जोखिम/एक्सपोज़र)
  - परस्पर जुड़ाव (Interconnectedness)
  - प्रतिस्थापन क्षमता (सेवाओं को बदलने की कठिनाई)
  - जटिलता (Complexity)
- बैंकों को प्रणालीगत महत्व के आधार पर अलग-अलग बकेट (0 से 4) में रखा जाता है।
- जितना ऊँचा बकेट होगा, उतनी ही अधिक अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET-1) पूंजी आवश्यकता होगी।

Source: TH

DRDO द्वारा स्वदेशी फाइटर एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट

संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लड़ाकू विमान के **एस्केप सिस्टम** का उच्च गति परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जिससे युद्धक पायलटों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षमता को मान्य किया गया।

परिचय

- **रॉकेट-स्लेड परीक्षण** ने 800 किमी/घंटा की सटीक नियंत्रित गति हासिल की, जो DRDO की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (RTRS) सुविधा, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL), चंडीगढ़ में आयोजित किया गया।
- यह परीक्षण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के सहयोग से किया गया।
- परीक्षण ने आपातकालीन एस्केप चेन के तीन प्रमुख तत्वों को मान्य किया:
  - **कैनोपी सेवरेंस (Canopy Severance)**
  - **इजेक्शन सीक्वेंसिंग (Ejection Sequencing)**
  - **पूर्ण एयरक्रू रिकवरी (Complete Aircrew Recovery)**
- यह जटिल डायनेमिक परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में रखता है जिनके पास उन्नत इन-हाउस एस्केप सिस्टम परीक्षण क्षमता है।
  - **डायनेमिक इजेक्शन परीक्षण** स्थिर परीक्षणों (जैसे नेट टेस्ट, ज़ीरो-ज़ीरो टेस्ट) की तुलना में अधिक जटिल होते हैं क्योंकि वे वास्तविक उड़ान परिस्थितियों की नकल करते हैं।

Source: PIB

भारतीय समुद्री सिद्धांत 2025 में नौसेना की नई श्रेणी

समाचारों में

- भारतीय नौसेना का **समुद्री सिद्धांत 2025** नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया।

भारतीय समुद्री सिद्धांत

- यह नौसेना का सर्वोच्च मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, जो उसकी रणनीति, भूमिकाओं और संघर्ष के पूरे परिदृश्य में उपयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
- इसे सर्वप्रथम 2004 में जारी किया गया था, 2009 में संशोधित किया गया और 2015 में संशोधन किया गया।

2025 संस्करण की विशेषताएँ

- यह विगत दशक में भारत के समुद्री वातावरण और रणनीतिक दृष्टिकोण में बड़े बदलावों को दर्शाता है।
- इसमें पहली बार "नो-वार, नो-पीस" को एक अलग परिचालन श्रेणी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, जो आधुनिक ग्रे-ज़ोन समुद्री चुनौतियों जैसे दबाव और हाइब्रिड रणनीतियों को प्रतिबिंबित करता है।
- यह त्रि-सेवा संयुक्त सिद्धांतों के साथ संरेखित होकर **संयुक्तता (Jointmanship)** को प्राथमिकता देता है ताकि सशस्त्र बलों के बीच अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित की जा सके।

प्रासंगिकता

- अद्यतन सिद्धांत में 2015 के बाद से भारत के समुद्री वातावरण में हुए प्रमुख बदलावों को शामिल किया गया है।
- यह राष्ट्रीय दृष्टियों के साथ संरेखित है, जैसे:
  - **विकसित भारत 2047**
  - **सागरमाला**
  - **पीएम गति शक्ति**
  - **मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030**
  - **मैरिटाइम अमृत काल विज़न 2047**
  - **महासागर (MAHASAGAR)**

Source :IE